121/2021/।/110489/2021-71-2099/542/209

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 29 अक्टूबर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0 के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैसेज प्लान्ट एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-7514/योजना अनु0/2021, दिनांक 12-10-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- के0जी0एम0यू0 के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैसेज प्लान्ट एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या- 105/2018/1588/71-2-2018-रिट-34/2014, दिनांक 04-07-2018 द्वारा रू0 2726.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 2590.38 लाख (95 प्रतिशत) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (रूपये लाख में)
1	105/2018/1588/71-2-2018-रिट-34/2014, दिनांक 04-7-2018 (अनु0 संख्या-31)	861.64
2	106/2018/2211/71-2-2018-रिट-34/2014, दिनांक 04-7-2018 (अनु0 संख्या-83)	229.05
3	17/2019/419/71-2-2019-रिट-34/2014, दिनांक 28-2-2019 (अनु0 संख्या-31)	820.00
4	17/2019/419/71-2-2019-रिट-34/2014, दिनांक 28-2-2019 (अनु0 संख्या-83)	180.00
5	48/2019/2298/71-2-2019-रिट-34/2014, दिनांक 09-10-2019 (अनु0 संख्या-31 एवं 83)	499.69
	योग-	2590.38

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0 के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैसेज प्लान्ट एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु 24-वृहत निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 191.87 लाख तथा अनुदान संख्या-83, समाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) से रू0 51.00 लाख अर्थात कुल रू0 242.87 लाख की जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(2) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0 / टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना हेतु निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति, के0जी0एम0यू0 की होगी।

(5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(7) जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(8) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।

(9) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा धनराशि को कोषागार से आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" से रू0 191.87 लाख तथा अनुदान संख्या-83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0 लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" से रू0 51.00 लाख, के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/**बी**-1-375/**दस**-2021-231/2021, **दिनांक** 22 **मार्च** 2021 **एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) **महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।**
2) **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
3) **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4) **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।**
5) **वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4**
6) **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।**
7) **प्रबन्ध निदेशक/अपर परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ ।**
8) **प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।**
9) **नोडल अधिकारी (श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चि0शि0 वि0), बजट आवंटन।**
10) **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Filename: 121
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 10/29/2021 12:55:00 PM
Change Number: 3
Last Saved On: 10/29/2021 12:55:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 2 Minutes
Last Printed On: 10/29/2021 12:55:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 800 (approx.)
Number of Characters: 4,561 (approx.)